(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 152 नई दिल्ली, **22** अगस्त 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38 वां) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के प्रचलित दरमान की वैधता को विस्तारित करता है ।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण सं.टीएएमपी/48/2005-जेएनओपीटी

जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास (जेएनपीटी) ..... आवेदक

आदेश
(जुलाई 2009 के 28 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के, 31 मार्च 2009 तक, की वैधता वाले प्रचलित दरमान को अपने दिनांक 28 सितंबर 2006 के आदेश द्वारा अधिसूचना सं. 162 दिनांकः 31 अक्तूबर 2006 के माध्यम से अधिसूचित किया था।

2. अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए जेएनपीटी द्वारा दिनांक 29 अक्तूबर 2008 और 24 दिसंबर 2008 के अपने पत्रो के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव को परामर्श के लिए ले लिया गया है। दिनांक 27 मार्च 2009 के आदेश द्वारा जेएनपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को 31 जुलाई 2009 तक विस्तारित किया गया था।

3. अंतिम रूप से विचार करने के लिए मामले को परिपक्व होने के लिए कुछ और समय लगेगा। इसलिए जेएनपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को 31 जुलाई 2009 से आगे विस्तारित करना आवश्यक हो गया है।

4. इसलिए यह प्राधिकरण जेएनपीटी के प्रचलित दरमान की वैधता को 31 अक्तूबर 2009 तक या जेएनपीटी के प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के प्रस्ताव पर पारित किए जानेवाले आदेश की प्रभावी कार्यान्वयन तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो विस्तारित करता है।

5. यदि इसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान 1 अप्रैल 2009 के बाद वाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो वह अतिरिक्त अधिशेष, निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जाएगा।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष